

श्रम एवं रोज़गार विभाग की वित्त वर्ष 2008–2009 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट

अध्याय-1

परिचय

श्रम एवं रोज़गार विभाग वर्ष,1972 से एक अलग विभाग के रूप में अस्तित्व में आया है—तब से हिमाचल प्रदेश के मित्रतापूर्ण, परिश्रमी एवं आशावादी लोगों की सेवा में दृढ़ संकल्प होकर कार्य कर रहा है।

श्रम एवं रोज़गार विभाग में मुख्यतः तीन खण्ड—श्रम,कारखाना एवं रोज़गार हैं। श्रम खण्ड का मुख्य कार्य, श्रम कानूनों, जिनकी संख्या 28 (केन्द्रीय एवं राज्य) हैं,का प्रभावी ढंग से लागू किया जाना तथा नियोक्ताओं एवं श्रमिकों के मध्य शांतिपूर्ण सम्बन्ध बनाये रखने में योगदान करना है। औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 के अन्तर्गत श्रमिकों एवं प्रबन्धकों के बीच मामलों को शीघ्रता से निपटाने हेतु स्थापित दो श्रम न्यायालय व औद्योगिक अधिकरणों में पूरे समय के लिये दो पीठासीन अधिकारी कार्यरत हैं, जिनका मुख्यालय शिमला व धर्मशाला में स्थित है। कारखाना अधिनियम,1948 के अन्तर्गत मुख्यतः कारखानों का पंजीकरण,नवीनीकरण तथा उनमें कार्यरत कामगारों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य से सम्बन्धित प्रावधानों का कार्यन्वयन किया जाता है।

रोज़गार शाखा का मुख्य कार्य हिमाचल प्रदेश में रोज़गार प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों का रोज़गार कार्यालय में पंजीकरण,मार्गदर्शन तथा सार्वजनिक व निजि

क्षेत्र के नियोक्ताओं द्वारा अधिसूचित रिक्तियों के लिए नाम सम्प्रेषित करना एवं मार्गदर्शन देना इत्यादि मुख्य हैं। इसके अतिरिक्त रोज़गार कार्यालयों (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम,1959 तथा नियम,1960 को लागू करना तथा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सार्वजनिक/निजि क्षेत्र के नियोक्ताओं से रोज़गार के आंकड़े एकत्रित करने का कार्य किया जाता है।

श्रम एवं रोज़गार विभाग का संगठनात्मक ढांचा तथा वर्ष 2008–2009 में इस विभाग द्वारा चलाये गये कार्यक्रमों का ब्यौरा तथा बजट विवरण इस प्रशासनिक रिपोर्ट के अगले भागों में दिया गया है।

अध्याय-2

श्रम एवं रोज़गार विभाग का संगठनात्मक ढांचा

श्रम एवं रोज़गार विभाग माननीय श्रम एवं रोज़गार मंत्री की देख रेख में कार्य करता है जो इस विभाग के प्रभारी मंत्री हैं। सरकार स्तर पर सचिवालय में अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोज़गार), तथा अवर सचिव (श्रम एवं रोज़गार) द्वारा सहयोग दिया जाता है।

श्रम एवं रोज़गार विभाग के निदेशालय स्तर पर श्रमायुक्त एवं निदेशक रोज़गार "विभागाध्यक्ष" के रूप में कार्यरत हैं।

निदेशालय स्तर पर विभाग मुख्यतः तीन भागों में विभाजित है:—

1. निदेशालय स्तर पर श्रम खण्ड का कार्य श्रमायुक्त एवं निदेशक रोज़गार की देखरेख में संयुक्त श्रमायुक्त एवं उप-श्रमायुक्त तथा श्रम-निरीक्षक (मुख्यालय) द्वारा संचालित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत श्रमायुक्त "मुख्य कारखाना निरीक्षक" घोषित किये गये हैं तथा संयुक्त-श्रमायुक्त "अतिरिक्त मुख्य कारखाना निरीक्षक" घोषित किये गये हैं।

अधीनस्थ कार्यालयों में कारखाना अधिनियम, 1948 को कार्यान्वित करने के लिये तीन सहायक निदेशक कारखाना के पद सृजित हैं। जिनमें से दो का मुख्यालय शिमला में (दो सहायक निदेशक कारखाना के पदों में से एक पद

1.5. 2004 से रिक्त है, और इसका कार्यभार मुख्यालय में कार्यरत सहायक निदेशक कारखाना देख रहे हैं) तथा एक का मुख्यालय ऊना में स्थित है।

इन का कार्यक्षेत्र निम्न प्रकार से विभाजित है:—

1. सहायक निदेशक कारखाना—शिमला
जिला—शिमला, किन्नौर, बिलासपुर, सोलन
(बद्धी, बरोटीवाला, नालागढ के औद्योगिक क्षेत्र को छोड़कर)
2. सहायक निदेशक कारखाना, ऊना
जिला—कांगडा, चम्बा, ऊना, हमीरपुर, मण्डी,
कुल्लु, लाहौल—स्पीति व सिरमौर तथा बद्धी,
बरोटीवाला तथा नालागढ का औद्योगिक क्षेत्र।

इसी प्रकार निदेशालय स्तर पर रोज़गार से सम्बन्धित कार्य—कलापों के लिये श्रमायुक्त एवं निदेशक रोज़गार की देख-रेख में उप-निदेशक रोज़गार, रोज़गार बाजार सूचना अधिकारी, प्रभारी अधिकारी स्थापना विशेष रोज़गार कार्यालय (अपंगों हेतु), राज्य व्यवसायिक मार्गदर्शन अधिकारी तथा रोज़गार अधिकारी (केन्द्रीय रोज़गार कक्ष) आवेदकों को रोज़गार सहायता उपलब्ध करवाने तथा व्यवसायिक मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु सहायता करते हैं।

2. श्रम एवं रोजगार विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों का विवरण:

(क) श्रम कानूनों को लागू करने के लिये 12 श्रम अधिकारी तथा 33 श्रम निरीक्षक नियुक्त हैं। श्रम अधिकारी तथा उनके कार्यक्षेत्र का विवरण निम्न प्रकार से है:—

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. श्रम अधिकारी, शिमला | उप-मण्डल शिमला (शहरी एवं ग्रामीण), उप मण्डल चौपाल एवं ठियोग तहसील |
| 2. श्रम अधिकारी, रामपुर | रामपुर, रोहडू तथा डोडरा—क्वार उप-मण्डल तथा कुमारसैन तहसील जिला शिमला तथा उप-मण्डल आनी जिला कुल्लू |
| 3. श्रम अधिकारी, सोलन | उप-मण्डल सोलन, कण्डाघाट, अर्की तथा कसौली तहसील (बरोटीवाला औद्योगिक क्षेत्र को छोड़कर) |

4. श्रम अधिकारी,बद्धी तहसील नालागढ,औद्योगिक क्षेत्र बद्दी बरोटीवाला
5. श्रम अधिकारी,नाहन जिला सिरमौर
6. श्रम अधिकारी,मण्डी जिला मण्डी
7. श्रम अधिकारी,कुल्लु जिला कुल्लु,(उप-मण्डल आनी को छोड़कर) उदयपुर तथा केलांग उप-मण्डल
8. श्रम अधिकारी, किन्नौर जिला किन्नौर,उप मण्डल काजा
9. श्रम अधिकारी,धर्मशाला जिला कांगडा
10. श्रम अधिकारी,चम्बा जिला चम्बा
11. श्रम अधिकारी,बिलासपुर जिला बिलासपुर एवं हमीरपुर
12. श्रम अधिकारी,उना जिला उना
- (ख) कारखाना अधिनियम,1948 के अर्न्तगत प्रदेश को तीन खण्डों में विभाजित किया गया है। इनमें से दो खण्डों का मुख्यालय शिमला में स्थापित है जबकि तीसरे खण्ड का मुख्यालय ऊना में स्थापित है ।
- (ग) रोज़गार खण्ड में 3 क्षेत्रीय रोज़गार कार्यालय, 2 विश्वविद्यालय रोज़गार सूचना एवं मार्गदर्शन ब्यूरो, 9 जिला रोज़गार कार्यालय तथा 55 उप-रोज़गार कार्यालय कार्यरत हैं, जिनका विवरण निम्न है :-

क्रमांक	कार्यालय का नाम	अधीनस्थ कार्यालय का विवरण
1	क्षेत्रीय रोज़गार कार्यालय,शिमला	कुमारसैन,मशोबरा,ठियोग,रामपुर-बुशैहर, रोहडू,जुब्बल,सुन्नी,चौपाल,चिड़गांव, तथा कुपवी। डोडराक्वार
2	क्षेत्रीय रोज़गार कार्यालय,मण्डी	सुन्दरनगर,जोगिन्द्रनगर,करसोग,सरकाघाट, तथा गोहर।
3	क्षेत्रीय रोज़गार कार्यालय, धर्मशाला	पालमपुर,ज्वाली,नुरपुर,लम्बागांव,नगरोटा सूरियो,बैजनाथ,इन्दौरा,बडोह,देहरा, फतेहपुर एवं डाडासीबा ।
4	विश्वविद्यालय रोज़गार सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्र हि0 प्र0	इन कार्यालयों के अधीन कोई कार्यालय नहीं है ।

विश्वपिद्यालय,
शिमला एंव
पालमपुर

- 5 जिला रोज़गार डलहौजी, भरमौर, पांगी, चुवाड़ी, तीसा एंव
कार्यालय चम्बा सलूणी स्थित सुन्दला ।
- 6 जिला रोज़गार नदौन,भौरंज, बडसर एवं सुजानपुर।
कार्यालय,
हमीरपुर
- 7 जिला रोज़गार घुमारवीं एवं श्री नैना देवी जी
कार्यालय,
बिलासपुर
- 8 जिला रोज़गार बंजार एवं आनी
कार्यालय,कुल्लु
- 9 जिला रोज़गार नालागढ,अर्की एवं कसौली
कार्यालय,सोलन
- 10 जिला रोज़गार पांवटा-साहिब,राजगढ,शिलाई,संगड़ाह, सराहां एवं
कार्यालय,सिरमौर कमराऊ
स्थित नाहन
- 11 जिला रोज़गार काज़ा एवं उदयपुर
कार्यालय,लाहौल
स्पति स्थित
केलॉंग
- 12 जिला रोज़गार पूह एवं निचार
कार्यालय किन्नौर
स्थित रिकांग
पीओ
- 13 जिला रोज़गार अम्ब
कार्यालय,ऊना

3. वर्ष 2008–2009 में श्रम एवं रोजगार विभाग में अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति/नियुक्ति तथा पदोन्नति का विवरण:

सेवानिवृत्तियों का ब्यौरा:

क्रमांक	सेवानिवृत्त कर्मचारी की संख्या	पद/ श्रेणी
1.	1	रोजगार अधिकारी (स्वैच्छिक सोवा निवृत्त)
2.	2	अधीक्षक ग्रेड-II
3.	1	वरिष्ठ सहायक

सरकार की अनुमति से हुई नई नियुक्तियों का ब्यौरा:

क्रमांक	नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी की संख्या	पद/ श्रेणी
1.	3	श्रम अधिकारी
2.	3	थलपिक
3.	3	चपड़ासी

पदोन्नतियों का ब्यौरा:

क्रमांक	पदोन्नतियों की संख्या	पद/ श्रेणी
1.	4	अधीक्षक ग्रेड-II
2.	3	वरिष्ठ सहायक

सुनिश्चित प्रगतिशील जीविका योजना का ब्यौरा:

क्रमांक	प्रवीणता वेतन वृद्धियों की संख्या	श्रेणी
1.	6	प्रथम
2.	3	द्वितीय

4.श्रम एवं रोज़गार विभाग में सृजित एवं भरे हुये पदों का ब्यौरा:

श्रम एवं रोज़गार विभाग में कुल 422 पद स्वीकृत हैं जिनमें से 121 पद रिक्त है जिनका ब्यौरा निम्न प्रकार से है:—

क्रमांक	पद का नाम	स्वीकृत पद	रिक्त पद
1	श्रमायुक्त एवं निदेशक रोज़गार (भा.प्र.से.)	1	—
2	पीठासीन अधिकारी	2	—
3	संयुक्त श्रमायुक्त	1	—
4	उप श्रमायुक्त	1	—
5	उप निदेशक रोज़गार	1	—
6	सहायक निदेशक कारखाना	3	1
7	श्रम अधिकारी	12	—
8	विधि अधिकारी	1	1
9	वरिष्ठ आशुलिपिक	2	—
10	श्रम निरीक्षक	33	10
11	सिलाई अध्यापिका	1	1
12	चालक	5	—
13	क्षेत्रीय रोज़गार अधिकारी	8	8
14	जिला रोज़गार अधिकारी	10	—
15	रोज़गार अधिकारी	12	4
16	अधीक्षक ग्रेड-1	1	—
17	अधीक्षक ग्रेड-11	12	1
18	निजि सहायक	1	—
19	सांख्यकीय सहायक	14	2
20	वरिष्ठ सहायक	62	1
21	कनिष्ठ आशुलिपिक	1	1
22	आशुटंकक	4	1
23	कनिष्ठ सहायक/लिपिक	128	64
24	दफ्तरी	4	1
25	कम्प्यूटर औप्रेटर	1	—
26	चौकीदार	12	4
27	चपड़ासी	83	21
28	सफाई कर्मचारी	5	1
29	फाश	1	—
	जोड़	422	122

अध्याय—3:

श्रम तथा श्रम कल्याण

श्रम एवं रोज़गार विभाग द्वारा चलाये गये कार्यक्रमों को सुविधा के लिये दो खण्डों में विभाजित किया गया है। श्रम खण्ड में श्रमिकों के कल्याण और रोज़गार खण्ड में इस खण्ड की गतिविधियां हैं, जिनका ब्यौरा निम्न प्रकार से है:—

श्रम खण्ड

हिमाचल प्रदेश में श्रम खण्ड का कार्य 27 केन्द्रीय तथा 2 राज्य श्रम अधिनियमों को प्रदेश में लागू करना है। औद्योगिक शान्ति बनाये रखना, मालिकों एवं कामगारों के बीच औद्योगिक शान्ति बनाये रखने के लिए उचित परामर्श देने की भूमिका निभाना है। इसके अतिरिक्त श्रम खण्ड का मुख्य कार्य संस्थानों में न्यूनतम मजदूरी को लागू करना भी है। विभिन्न औद्योगिक इकाइयों में श्रम खण्ड का कारखाना-शाखा, कारखानों में दुर्घटनायें रोकने और सुरक्षा उपायों को लागू करने बारे भी आवश्यक भूमिका निभाता है तथा कारखाना शाखा द्वारा कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत कारखानों का पंजीकरण एवं नवीकरण भी किया जाता है।

औद्योगिक सम्बन्ध तथा सामान्य श्रम स्थिति

औद्योगिक सम्बन्धों की समस्या वर्तमान में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर चुकी है। औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि तब तक पूर्ण रूप से नहीं हो सकती है जब तक मालिकों और श्रमिकों में सहयोग एवं मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध न हों। समझौता व्यवस्था, औद्योगिक विवादों को रोकने तथा

निपटाने में और औद्योगिक शान्ति स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण साधन सिद्ध हुई है। 10 जिला मुख्यालयों पर स्थित श्रम अधिकारियों को समझौता अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त श्रम अधिकारी ;परियोजनाद्ध रामपुर बुशैहर और श्रम अधिकारी बट्टी को भी अपने क्षेत्र के लिये समझौता अधिकारी नियुक्त किया गया है। प्रदेश के अन्य जिलों में जहां श्रम अधिकारी के पद सृजित नहीं हैं वहां पर जिला रोज़गार अधिकारियों को समझौता अधिकारी नियुक्त किया गया है। जहां पर कामगारों की संख्या 200 या उससे कम हो, श्रम निरीक्षक के भी बतौर समझौता अधिकारी औद्योगिक विवादों को निपटाने का कार्य करते हैं। जहां पर उपरोक्त अधिकारियों द्वारा औद्योगिक विवादों का समझौता न हो पाये, वहां पर श्रम अधिकारी, उप-श्रमायुक्त /संयुक्त -श्रमायुक्त और श्रमायुक्त विवादों को निपटाने में हस्ताक्षेप करते हैं। इसके अतिरिक्त औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 की धारा 3 के अर्न्तगत, जहां पर 100 या इससे अधिक कामगार हों ऐसी संस्थानों द्वारा वर्कस कमेटी का गठन अनिवार्य किया गया है। ये वर्कस कमेटियाँ भी औद्योगिक शान्ति बनाने में काफी सहायक सिद्ध होती है। इन कमेटियों में प्रबन्धकों और कामगारों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं । सामान्यतः वर्ष 2008-2009 में हिमाचल प्रदेश की श्रम स्थिति संतोषजनक रही है ।

31.3.2009 तक श्रम खण्ड में विभिन्न श्रम अधिनियमों के अर्न्तगत कुल पंजीकृत संस्थानों की संख्या और उनमें कार्य कर रहे कर्मचारियों का ब्यौरा निम्नलिखित है:—

क्रमांक	अधिनियम का नाम	पंजीकृत संस्थानों की संख्या	कामगारों की संख्या
1.	कारखाना अधिनियम,1948	3,493	2,05,509
2.	मोटर ट्रांसपोर्ट वर्करज अधिनियम,1961	111	7,412
3.	ट्रेड यूनियनज अधिनियम,1926	1,128	—
4	प्लान्टेशन अधिनियम,1951	17	321
5	बोनस भुगतान अधिनियम,1965	198	20,985
6.	अर्न्तराज्य प्रवासी कामगार अधिनियम,1979		
	(क)प्रमुख नियोक्ता	83	12,163
	(ख)ठेकेदार	100	4,393
8.	श्रम ठेका (विनियम एवं उन्मूलन) अधिनियम,1970		
	(क)प्रमुख नियोक्ता	922	87,600
	(ख)ठेकेदार	2,964	1,17,010
9	मनीसाना वेज बोर्ड	36	459
10	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम (योजना)1948	2,500	1,34,286
11	उपादान भुगतान अधिनियम,1972	1,623	1,35,231
12	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम,1952	6,059	2,29,136

सांख्यिकीय रचनाये

श्रम खण्ड की 1.4.2008 से 31.3.2009 तक की विभिन्न श्रम अधिनियमों की उपलब्धियों/कार्यों का ब्योरा एवं विभिन्न अधिनियमों के प्रावधानों की उल्लंघना पाये जाने पर विभाग द्वारा सम्बन्धित न्यायिक मैजिस्ट्रेट के न्यायालय में चालान दायर किये गये जिनका विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:-

तालिका-1

क्रमांक	अधिनियम का नाम	1.4.2008 से 31.3.2009 तक किये गये निरीक्षण की संख्या	न्यायालय में दायर किये गये चालानों की संख्या	न्यायालय द्वारा निर्णित मामलों की संख्या	जुर्माने की राशि
1	दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम,1969	5066	1268	1032	5,74,350
2	वेतन भुगतान अधिनियम,1936	2517	181	161	3,59,600
3	न्यूनतम वेतन अधिनियम,1948	2824	353	309	2,33,150
4	कारखाना अधिनियम,1948	1076	89	58	5,04,000
5	मोटर ट्रांसपोर्ट वर्करज़ अधिनियम,1961	45	5	1	500
6	श्रम ठेका(विनियम एवं उन्मूलन)अधिनियम,1970	890	149	111	1,92,000
7	समान वेतन अधिनियम,1976	170	0	1	5,000

8	डपादान भुगतान अधिनियम,1972	585	16	9	17,900
9	बोनस भुगतान अधिनियम,1965	421	1	1	कोई जुर्माना नहीं
10	प्रसूति लाभ अधिनियम,1961	184	2	1	500
11	हिमाचल प्रदेश औद्योगिक संस्थान(राष्ट्रीय आक्स्मिक एवं बीमारी अवकाश) अधिनियम,1969	705	11	6	2,250
12	चाय बागान अधिनियम,1951	18	0	0	0
13	अन्तर्राज्य प्रवासी सेवा कर्मकार अधिनियम,1979	98	30	27	42,300
14	बाल श्रमिक (निषेद्ध) अधिनियम,1986	2321	0	0	0
16	औद्योगिक रोज़गार (स्थाई आदेश) अधिनियम,1946	200	2	1	कोई जुर्माना नहीं
	कुल	17,120	2,107	1,718	19,31,550

तालिका-2

क्रमांक	अधिनियम का नाम	31.3.2009 तक पंजीकृत नियोक्ताओं की संख्या	कामगारों की संख्या	31.3.2009 तक लाईसैन्स प्राप्त ठेकेदारों की संख्या	कामगारों की संख्या
1	श्रम ठेका(विनियम एवं उन्मूलन)अधिनियम,1970	922	87,600	2,964	1,17,010
2	अन्तर्राज्य प्रवासी कामगार (रोजगार) विनियम एवं अधिनियम,1979	83	12,163	100	4,393

तालिका-3

उपादान अदायगी अधिनियम,1972

क्रमांक	पिछले अनिर्णित मामले	31.3.09 तक प्राप्त मामले	कुल मामलों की संख्या (खाना संख्या 3 एवं 4)	31.3.08 तक निर्णित मामलों की संख्या	31.3.2009 को अनिर्णित मामलों की संख्या	मामलों की संख्या	एपीलेंट आथोरिटी के पास अपील की जिनकी
1.	2.	3.	4.	5..	6.	7.	8.
(i) Controlling authorities द्वारा निपटाये गये मामलों का ब्यौरा		75	62	137	71	66	2
(ii) एपीलैन्ट आथोरिटी द्वारा निपटाई गई अपीलों का ब्यौरा		8	6	14	10	4	एपीलैन्ट आथोरिटी द्वारा 10 अपीलों का निपटारा किया गया जिसमें 2,19,752 रु0 का भुगतान करने के आदेश सम्बन्धित नियोक्ताओं / नियोजकों को दिया गया।

तालिका-4

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947

कमांक	विवरण	संख्या
1.	31.3.2008 को लम्बित मांग पत्रों की संख्या	664
2.	1.4.2008 से 31.3.2009 तक प्राप्त मांग पत्रों की संख्या	1620
3.	कुल मांग पत्रों की संख्या (खाना संख्या 3 व 4)	2284
4.	समझौते के दौरान धारा 12(3) के तहत निपटारे गये	604
5.	असफल मामलों की संख्या जो 12(4) के अधीन भेजे गये	831
6.	31 मार्च 2009 को लम्बित मांग पत्र	849
7.	उद्योगों की संख्या	66
8.	कामगारों की संख्या	1,084
9.		

तालिका-5

औद्योगिक रोजगार (स्टैंडिंग आर्डर) अधिनियम, 1946

अधिनियम के तहत आने वाले संस्थानों में से

टधिनियम के तहत आने वाले संस्थान

स्टैंडिंग आर्डर जिन्हें प्रमाणित करवा लिया गया

1.
1263

2.
203

तालिका-6

दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम, 1969

अधिनियम के अधीन बाजारों की संख्या	31.3.2009 के अन्त में दुकानों की संख्या	कामगारों की संख्या	31.3.09 के अन्त में वाणिज्य संस्थानों की संख्या	कामगारों की संख्या	कुल संस्थानों की संख्या	कुल कामगारों की संख्या
1. 96 बाजारों 2 राष्ट्रीय मार्ग	2. 49,442	3. 17,995	4. 11,530	5. 19,667	6. 60,972	7. 37,662

तालिका-7

क्रमांक	अधिनियम का नाम	31.3.2008 को लम्बित शिकायतों की संख्या	1.4.2008 से 31.3.2009 तक प्राप्त शिकायतों की संख्या			श्रम निरीक्षकों द्वारा निर्णित शिकायतों की संख्या	श्रम निरीक्षकों द्वारा दिलाई गई धनराशि	सम्बन्धित कामगारों की संख्या	31.3.2009 को अनिर्णित मामलों की संख्या
			कुल शिकायतें						
1	वेतन भुगतान अधिनियम,1936	289	829	1,118	847	87,13,425	1,451	271	
2	हि०प्र० दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम,1969	7	17	24	19	19,500	23	5	
3.	हि०प्र०लोक निर्माण विभाग के ठेकेदारों के श्रमिकों का विनियम	29	65	94	56	22,54,562	181	38	
4	न्यूनतम वेतन अधिनियम,1948	3	38	41	36	3,07,529	61	5	

तालिका-8

कारखाना अधिनियम,1948 के अर्न्तगत दिनांक 1.4.2008 से 31.3.2009 तक किये गये कार्य का विवरण

31.3.2008 तक पंजीकृत कारखानों की संख्या	1.4.2008 से 31.3.2009 तक पंजीकृत कारखानों की संख्या	से 31.3.2009 तक को कुल पंजीकृत कारखानों की संख्या	31.3.2009 तक कुल पंजीकृत कारखानों में कामगारों की संख्या	1.4.2008 से 31.3.2009 तक पंजीकरण प्रमाण पत्रों के नवीकरण की संख्या
1.	2.	3.	4.	5.
3151	342	3493	2,05,509	1812

औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947

औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 के तहत निदेशालय स्तर पर 31.3.2008 को 1118 विवाद लम्बित थे। वित्त वर्ष के दौरान 484 विवाद उक्त अधिनियम की धारा 12 (4) के अर्न्तगत निदेशालय में प्राप्त हुये, अतः कुल विवाद 1602 हो गये। इस वित्त वर्ष के दौरान 893 मामले विभिन्न श्रम न्यायलयों को निर्णय हेतू भेजे गये तथा उक्त अधिनियम की धारा 12(5) के तहत 97 विवाद निरस्त किये गये, तथा 31.3.2009 को 612 मामले शेष बचे।

उपादान अधिनियम,1972 के अर्न्तगत अपील का निपटारा

वित्त वर्ष 2008-09 (1.4.2008 से 31.3.2009 तक) के दौरान 10 अपील केसों का निर्णय/निपटारा किया गया। जिसके अर्न्तगत रू0 2,19,752 (दो लाख उन्नीस हजार सात सौ बावन) की उपादान राशि का भुगतान करने के आदेश सम्बन्धित नियोक्ताओं/प्रबन्धकों को किए गए। वर्ष के अन्त तक चार मामले लम्बित रहे।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने भिन्न-भिन्न श्रम अधिनियमों के अर्न्तगत औद्योगिक शान्ति बनाये रखने के लिये निम्नलिखित बोर्ड और समितियों का समय-समय पर गठन किया जाता है।

क्रमांक	अधिनियम का नाम	बोर्ड/ समिति का नाम	गठन का उद्देश्य
1	न्यूनतम वेतन अधिनियम,1948	न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड	न्यूनतम वेतन अधिनियम,1948 के अधीन अनुसूचित व्यवसायों में न्यूनतम वेतन दरों में संशोधन/ निर्धारण बारे सरकार को परामर्श देना

2	समान परिश्रमिक अधिनियम,1976	सलाहकार समिति	स्त्रियों को रोजगार अवसरों तथा लिंग के आधार पर वेतन विसंगतियों को दूर करने बारे सरकार को परामर्श देना
3	श्रम ठेका (विनियम एवं उन्मूलन) अधिनियम,1970	राज्य सलाहकार श्रम ठेका बोर्ड	ठेकेदारी वर्ग पद्धति पर जहाँ पर सम्भव हो सके, रोक लगाना, व जहाँ रोक लगाना सम्भव न हो, इस प्रथा का विनियम करना और इस सम्बन्ध में अपनी सिफारिशें सरकार को देना
4	श्रम ठेका (विनियम एवं उन्मूलन) अधिनियम,1970	राज्य ठेका सलाहकार समिति	समिति द्वारा ठेका उन्मूलन बारे जांच पड़ताल करना तथा इस सम्बन्ध में ठेका सलाहकार बोर्ड को अपनी सिफारिशें देना।
5	(क) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम (योजना) 1948	क्षेत्रीय बोर्ड ई. एस. आई.	कर्मचारी बीमा एवं स्वास्थ्य/ पैंशन योजनाओं को प्रदेश में कार्यन्वयन एवं विस्तार सम्बन्धि कार्य करना। क्षेत्रीय कर्मचारी राज्य बीमा बोर्ड का गठन हिमाचल प्रदेश में ई. एस. आई. स्कीम को सही रूप से लागू करने के उद्देश्य से किया गया है ताकि कामगारों को इन योजनाओं का लाभ मिल सके।
	(ख) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम(योजना)1948	स्थानीय समितियाँ	कर्मचारी राज्य बीमा योजना का सुचारू रूप में

			संचालन तथा कार्यन्वयन एवं विस्तार सम्बन्धित कार्य करना।
6	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम,1952	क्षेत्रीय समिति ई० पी० एफ० हिमाचल प्रदेश	कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का सुचारु रूप से संचालन तथा कार्यन्वयन एवं विस्तार करने के लिये कार्यवाही करना।
7	केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड	क्षेत्रीय सलाहकार समिति	कामगारों को शिक्षा देने बारे।
8	बन्धुआ मजदूर(विनियम एवं उन्मूलन)अधिनियम,1976	राज्य स्तरीय पड़ताल समिति(बन्धुआ मजदूरी)	बन्धुआ मजदूर प्रथा को समाप्त करना, उन्मूलन /पुर्नवास सम्बन्धित कार्यवाही।
9.	बन्धुआ मजदूर(विनियम एवं उन्मूलन)अधिनियम,1976	जिला तथा सभी उप मण्डल स्तरों पर सर्तकता समितियाँ	बन्धुआ मजदूर प्रथा को समाप्त करना, उन्मूलन/पुर्नवास सम्बन्धित कार्यवाही।
10	कारखाना अधिनियम,1948	स्थल मूल्यांकन समिति	कारखाना अधिनियम,1948 की प्रथम अनुसूची में दर्शाए गए उद्योगों की स्थापना से पहले उनके स्थल बारे प्रदेश सरकार को संस्तुती करना।

परियोजनाओं में औद्योगिक शान्ति बनाये रखने के लिये गठित बोर्ड / समितियाँ

(क) राज्य स्तरीय त्रिपक्षीय बोर्ड	औद्योगिक शान्ति को सुनिश्चित करने के लिये प्रबन्धकों व कामगारों में समन्वय स्थापित करना।
(ख) परियोजना स्तर पर त्रिपक्षीय समितियों का परियोजनाओं के लिये गठन	उक्त समिति विभिन्न परियोजनाओं के कामगारों की समस्याओं पर ध्यान देगी तथा परियोजनाओं के नियन्त्रण पर नजर रखेगी तथा इनको पूरा करवाना सुनिश्चित करेगी।
(ग) त्रिपक्षीय राज्य स्तरीय समिति	श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत निर्धारित विभिन्न प्रपत्रों / विवरणियों के सरलीकरण तथा कमी की जाने बारे।

1. न्यूनतम वेतन

न्यूनतम वेतन निर्धारण व पुर्ननिर्धारण, न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत होता है। हिमाचल प्रदेश सरकार उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार समय-समय पर न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड का पुर्नगठन करती रही है। इसका उद्देश्य सरकार को विभिन्न व्यवसायों में न्यूनतम वेतन की दरों में निर्धारण एवं संशोधन करने में परामर्श देना है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड के परामर्श के पश्चात समस्त अनुसूचित व्यवसायों में अकुशल श्रमिकों के वेतन की न्यूनतम दर 100/-रु. प्रतिदिन या रु0 3000/- प्रतिमाह प्रथम जनवरी, 2008 से निर्धारित किया है जो कि पिछले न्यूनतम वेतन से 33.33 प्रतिशत अधिक है। अर्ध

कुशल, कुशल तथा उच्च कुशल कामगारों के वेतन में भी (समान अनुपात) से बढ़ोतरी की गई है जो कि दिनांक 1.1.2008 से लागू होगी, जिन अनुसूचित व्यवसायों में बढ़ोतरी की गई है वे होगी वे निम्न प्रकार से हैं:—

1. कृषि
2. सड़क तथा भवन निर्माण पत्थर पिसाई कशिंग/पत्थर तुड़ान
3. फौरेस्टरी एवं टिम्बरिंग आप्रेशन
4. पब्लिक मोटर ट्रांसपोर्ट
5. दुकान एवं वाणिज्य संस्थानों के व्यवसाय
6. कैमिकल्ज तथा कैमिकल्ज प्रोडक्शन
7. इंजिनियरिंग उद्योग
8. चाय बागान
9. विनिर्माण क्रिया में नियोजन जो कि कारखाना अधिनियम,1948 की धारा-2 के खण्ड(क)में परिभाषित
10. होटल/रेस्तरा
11. निजि शैक्षणिक संस्थान

कृषि व्यवसाय में कार्यरत अकुशल कामगारों के न्यूनतम वेतन को रू0 100 प्रतिदिन से बढ़ाकर 110 प्रतिदिन कर दिया गया है, जो कि दिनांक: 1.3.2009 से लागू है।

इसके अतिरिक्त सुरंग के अन्दर कार्य करने वाले मजदूरों के लिये उक्त दरों के उपर 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी देय होगी।

जन-जातीय क्षेत्रों में कार्य करने वाले मजदूरों को उक्त दरों के उपर 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी देय होगी। इन क्षेत्रों में निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं में कार्यरत कामगारों को न्यूनतम वेतन पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त बढ़ोतरी देय होगी।

जनजातीय क्षेत्रों के अतिरिक्त क्षेत्रों में निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं में कार्यरत कामगारों को न्यूनतम वेतन पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त बढ़ोतरी देय होगी।

महिला और पुरुष कामगारों को समान कार्य के लिये (व्यस्क या अव्यस्क) एक समान वेतन निर्धारण का प्रस्ताव किया गया है।

कृषि व्यवसाय में कार्यरत अकुशल कामगारों

न्यूनतम वेतन का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने श्रम खण्ड के अधिकारियों एवं निरीक्षकों के अतिरिक्त समस्त तहसीलदारों (महाल) एवं जिला रोज़गार अधिकारियों को "निरीक्षक" नियुक्त किया है तथा अपने-अपने क्षेत्रों में सभी उपमण्डल अधिकारी (नागरिक) को इस अधिनियम के अन्तर्गत प्राधिकारी नियुक्त किया गया है ताकि वे न्यूनतम वेतन सम्बन्धी वेतन दावा का निपटारा कर सकें ।

2. बन्धुआ मजदूरों पुर्नवास के लिये योजना बनाना

बन्धुआ मजदूरों के पुर्नवास के लिये योजना गनाई गई है। बन्धुआ मजदूर अधिनियम, 1976 की धारा 13 के अन्तर्गत सभी जिला तथा उन-मण्डल स्तर पर बन्धुआ मजदूर से सम्बन्धित शिकायतों का निपटारा करने के लिये सर्तकता समितियों का गठन किया गया है। इन समितियों की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के किसी भी जिले में अभी तक बन्धुआ मजदूर का कोई भी मामला नहीं पाया गया है। बन्धुआ मजदूरों के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई थीं जिनकी जाँच करवाई गई लेकिन ऐसा कोई भी मामला सामने नहीं आया जो बन्धुआ मजदूर की परिभाषा में आता हो।

3. बाल श्रमिकों का अन्मूलन कार्यक्रम

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बाल श्रमिकों के अन्मूलन के लिये प्रदेश के 17 अन्य विभागों के अधिकारियों को बाल श्रमिक अधिनियम के अन्तर्गत निरीक्षक की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम/पद	विभाग का नाम
1.	समस्त उप-मण्डल अधिकारी, हि0प्र0	राजस्व
2.	समस्त आयुक्त, नगर निगम, शिमला	स्थानीय निकाय
3.	समस्त खण्ड विकास अधिकारी, हि0प्र0	आर.डी व पंचायती राज
4.	समस्त तहसीलदार/नायब तहसीलदार, हि0प्र0	राजस्व
5.	समस्त महा-प्रबन्धक/ प्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र, हि0प्र0	उद्योग
6.	समस्त श्रम अधिकारी, हि0प्र0	श्रम एवं रोजगार
7.	समस्त जिला रोजगार अधिकारी, हि0प्र0	-उक्त-
8.	समस्त अधिशाषी अधिकारी, नगर परिषद/नगर पंचायत हि0प्र0	स्थानीय निकाय
9.	समस्त हैड कॉस्टेबल एवं उससे उपर के पुलिस अधिकारी, हि0प्र0	पुलिस
10.	समस्त जिला/तहसील कल्याण अधिकारी, हि0प्र0	समाजिक न्याय एवं अधिकारिता
11.	समस्त जिला प्रोग्राम अधिकारी, हि0प्र0	-उक्त-
12.	समस्त बाल विकास एवं प्रोजैक्ट अधिकारी, हि0प्र0	-उक्त-
13.	समस्त पंचायत निरीक्षक, हि0प्र0	आर.डी व पंचायती राज
14.	समस्त जिला/सहायक पर्यटन विकास अधिकारी, हि0प्र0	पर्यटन
15.	स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम	स्थानीय निकाय
16.	समस्त जिला/सहायक खाद्य एवं आपूर्ति नियन्त्रक	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति
17.	समस्त माप एवं तोल निरीक्षक, हि0प्र0	माप एवं तोल
18.	समस्त ए.ई.टी.एस./ई.टी.ओ.स. निरीक्षक, हि0प्र0	आबकारी एवं कराधान

4.भवन एवं अन्य निर्माण कामगारों (रेगूलेशन ऑफ एम्प्लायमैन्ट एण्ड कन्डिशन ऑफ सर्विस) एक्ट,1996.

भवन व अन्य निर्माण गतिविधियों में कार्यरत मजदूरों के असुरक्षित खण्ड के कल्याण हेतू सरकार ने राज्य में भवन एवं अन्य निर्माण कामगार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियम) अधिनियम,1996 के अर्न्तगत हि0प्र0 भवन एवं अन्य निर्माण कामगार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियम) नियम, 2008 बनाये हैं, जिन्हें दिनांक

4.12.2008 को अधिसूचित कर दिया गया है। राज्य सरकार ने अधिनियम की धारा-18 के अर्न्तगत भवन एवं अन्य निर्माण कार्य में लगे कामगारों के कल्याण हेतू हि0 प्र0 भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड का गठन दिनांक:5.3.2009 को कर लिया गया है। यह बोर्ड निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को वृद्धावस्था पेंशन, आवास हेतू वित्तीय लाभ, मातृत्व लाभ, बच्चों की शिक्षा हेतू प्रोत्साहन आदि कल्याण योजनाओं के रूप में समाजिक सुरक्षा प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त बोर्ड अन्य तरह की कल्याण सम्बन्धी योजनायें समय-समय पर लागू कर सकता है।

प्रदेश में इस अधिनियम के लागू होने से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के एक बहुत बड़े समूह को कल्याण योजनाओं के रूप में समाजिक सुरक्षा प्रदान की जायेगी और इससे प्रदेश का कार्य सक्षम होगा क्योंकि बहुत अधिक संख्या में निर्माण मजदूर जल विद्युत परियोजनाओं और अन्य निर्माण गतिविधियों में कार्यरत है।

कामगारों को पहचान-पत्र प्रदान करना:

श्रम विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा सभी औद्योगिक ईकाईयों व निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं में कामगारों तथा ठेका श्रमिकों को कारखाना व परियोजना के प्रबन्धक कामगारों को पहचान-पत्र जारी कर रहे हैं। जिनका सत्यापन सम्बन्धित श्रम अधिकारी द्वारा किया जाता है। विभाग द्वारा दिनांक 31.3.2009 तक कुल 1,88,857 पहचान-पत्र जारी किये जा चुके हैं। इनमें से इस वित्तीय वर्ष 1.4.2008 से 31.3.2009 तक 41,277 कामगारों को पहचान-पत्र जारी किये गये हैं। पहचान पत्रों को प्रदान करने के लिये हिमाचल प्रदेश न्यूनतम वेतन नियम, हिमाचल प्रदेश श्रम ठेका नियम, हिमाचल प्रदेश अन्तरराज्य प्रवासी कामगार नियम तथा औद्योगिक रोजगार (स्थाई आदेश) नियम में संशोधन किया गया है जिससे कामगारों को पहचान पत्र जारी करने के लिये कानूनी प्रावधान है।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना अधिनियम,1948

यह अधिनियम योजना में लाये गये कर्मचारियों और उनके परिवारों को बीमारी में निःशुल्क चिकित्सा और प्रसुति तथा व्यवसाय के कारण अपंगता व मृत्यु हो जाने पर आर्थिक सहायता प्रदान करता है। यह अधिनियम साल भर चलने वाले उद्योगों, जहां पर 20 या उससे अधिक श्रमिक कार्य करते हैं तथा बिजली का प्रयोग हो, पर लागू है। यह खानों तथा रेलवे शैडों में लागू नहीं होता। जिन श्रमिकों का मासिक वेतन 10,000/- रुपये से अधिक है वह इसके अन्तर्गत नहीं आते हैं। यह योजना कर्मचारियों व मालिकों के योगदान से चलाई जाती है तथा कुल व्यय का 1/8 भाग प्रदेश सरकार देती है। यह योजना जिला सोलन:- (1) सोलन (2) बरोटीवाला (3) बद्दी (4) परवाणु

(5) नालागढ़, जिला सिरमौर:— (1) पांवटा साहिब (2) काला अम्ब, जिला उना:—(1) मैहतपुर तथा जिला शिमला:—(1) शिमला नगर निगम क्षेत्र में लागू है। जिला उना के औद्योगिक क्षेत्र (1) बाथरी (2) गगरेट जिला मण्डी के औद्योगिक क्षेत्र (1) मण्डी (2) रती (3) नेर चौक (4) भंगरोटू (5) चक्कर (6) गुटकी स्थानों में, जिला शिमला के शोधी औद्योगिक क्षेत्र तथा जिला बिलासपुर के गोलथाई औद्योगिक क्षेत्र में भी ई0 एस0 आई0 योजना दिनांक 01.12.2008 से लागू है। श्रमिकों के लिये मैहतपुर, बरोटीवाला, सोलन जाबली, नालागढ़, बददी, शिमला, पांवटा-साहिब, बदीपुर, काला-अम्ब में डिस्पैन्सरियों के अतिरिक्त परवाणु में 50 बिस्तरों वाला अस्पताल भी कार्य कर रहा है। क्षेत्रीय निदेशक ई0एस0आई0 कारपोरेशन का कार्यालय परवाणु में (ई0एस0आई कौम्पलैक्स) में स्थित है। इसके अतिरिक्त जिला सोलन के बददी में ESI Corporation का Super Speciality Hospital जिला मण्डी में नेरचौक स्थान पर ESI Corporation का Super Special Hospital & Medical Collage का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है।

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952

क्षेत्रीय कर्मचारी भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय, शिमला में स्थित है। इस योजना के अर्न्तगत कारखानों तथा संस्थानों के कर्मचारियों द्वारा आवश्यक भविष्य निधि में अंशदान का प्रावधान है। यह अधिनियम उन कारखानों व प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों के लिये अनिवार्य रूप से लागू है, जिन कारखानों व प्रतिष्ठानों में कामगारों की संख्या 20 या इससे अधिक है। इस समय इस योजना के अर्न्तगत 6,059 संस्थानों में 2,29,136 कर्मचारियों को लाया जा चुका है।

कामगारों के लिये शिक्षा योजना

संचालित कामगारों को उनके कर्तव्यों व अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिये केन्द्रीय संचालित योजना के अधीन शिक्षित किया जाता है। कामगारों को शिक्षित करके दोहरे लाभ की आशा की जा सकती है। एक तो इससे कार्यकुशलता व उत्पादन को बढ़ावा मिलता है तथा साथ ही यह शिक्षा दी जाती है कि वे कामगार संगठनों में अपनी भलाई के लिये कारगर रूप में इस तरह से काम करें कि उनको अधिकतम लाभ हो। हिमाचल प्रदेश में कार्यरत कामगारों को शिक्षा देने का कार्य क्षेत्रीय निदेशक, कामगार शिक्षा बोर्ड, परवाणु द्वारा किया जाता है। श्रमायुक्त इसके अध्यक्ष हैं।

श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक अधिकरण

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत औद्योगिक विवादों का न्यायिक निर्णय करने के लिये हिमाचल प्रदेश सरकार ने दो श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक अधिकरण स्थापित किये हैं। एक श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक अधिकरण शिमला में स्थापित है जिसका कार्यक्षेत्र जिला शिमला, किन्नौर, सोलन, सिरमौर तथा लाहौल स्पिती का काजा उप-मण्डल है तथा दूसरा श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक अधिकरण धर्मशाला में स्थापित है जिसका कार्यक्षेत्र जिला कांगड़ा, चम्बा, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, मण्डी, कुल्लु तथा लाहौल स्पिति का

लाहौल भाग शामिल है। इन न्यायालयों में औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत जिला एवं सत्र न्यायधीश के पद के बराबर के एक एक स्वतन्त्र पीठासीन अधिकारी नियुक्त किये गये हैं। इन न्यायालयों में निम्न अधिकारी व कर्मचारी नियुक्त किये गए हैं:—

क्रमांक	पदनाम	संख्या
1.	पीठासीन अधिकारी	2
2.	वरिष्ठ आशुलिपिक	2
3.	स्टैनो टाईपिस्ट	2
4.	वरिष्ठ सहायक—एंव—रीडर	4
5.	अहलमद	4
6.	चालक	2
7.	दफतरी	2
8.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	2
9.	स्वीपर—कम—चौकीदार	1

इसके अतिरिक्त औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 33 (सी) (2) के अधीन भुगतान दावे बारे आवेदन पत्र सीधे तौर से श्रम न्यायालयों को दिये जा सकते हैं।

इन न्यायालयों की स्थापना मजदूरों तथा प्रबन्धकों के बीच होने वाले विवादों को निपटाने के लिये औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत की गई है। मजदूरों और प्रबन्धकों के बीच होने वाले विवादों को सरकार इन न्यायालयों/अधिकरणों को भेजती है। इसके अतिरिक्त, कामगार अवार्ड, समझौता और भुगतान प्राप्त करने के लिये प्रार्थना पत्र सीधेतौर पर दाखिल किये जा सकते

हैं। हिमाचल प्रदेश में श्रम न्यायालयों को औद्योगिक अधिकरण की शक्तियां दी गई हैं जबकि अन्य राज्यों में श्रम न्यायालय और औद्योगिक अधिकरण अलग-अलग हैं। श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के तहत भी कार्य कर रहे हैं।

ये न्यायालय हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों एवं तहसीलों में जाकर प्रदेश के मजदूरों को न्याय प्रदान करते हैं क्योंकि मजदूर दूर-दराज के क्षेत्रों में अपने मुकदमों की पैरवी के लिये शिमला/धर्मशाला नहीं आ सकते हैं। सरकार श्रम कानूनों को लागू करने के लिये प्रतिबद्ध है ताकि मजदूरों को न्याय मिल सके। ये न्यायालय मजदूरों को शीघ्र एवं सस्ता न्याय देने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं।

1.4.2008 से 31.3.2009 तक श्रम न्यायालयों द्वारा किये गये कार्य का विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्रमांक	विवरण	सन्दर्भ	आवेदन	जोड़
1	1.4.2008 को लम्बित मामले	1039	409	1448
2	1.4.2008 से 31.3.2009 तक प्राप्त मामले	1025	166	1181
3	31.3.2009 को कुल मामले	2064	575	2639
4	1.4.2008 से 31.3.2009 तक निपटाये गये मामले	394	362	756
5	31.3.2009 को लम्बित मामले	1670	213	1883

अध्याय-4 रोज़गार खण्ड

हिमाचल प्रदेश में इस समय 3 क्षेत्रीय रोज़गार कार्यालय, 9 जिला रोजगार कार्यालय, 2 विश्वविद्यालय रोज़गार सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्र व 55 उप रोज़गार कार्यालय कार्यरत हैं। ये रोज़गार कार्यालय अभ्यर्थियों/जनता को पंजीकरण, सेवा नियोजन, व्यावसायिक मार्गदर्शन सूचना देने में सहायता करते हैं व रोजगार बाजार सूचना भी एकत्रित करते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 'फौरन इम्प्लायमेंट एण्ड मैनपावर एक्सपोर्ट ब्यूरो' का निदेशालय श्रम एवं रोज़गार में गठन किया है ताकि विदेश जाने के इच्छुक कामगारों का प्राईवेट एजेन्टों से होने वाले शोषण से उन्हें बचाया जा सके।

हिमाचल प्रदेश के रोज़गार कार्यालयों द्वारा वित्तीय वर्ष 2007-2008 में किए गए कार्य का वर्ष 2008-2009 से तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्रमांक संख्या	मद	1.4.2007 से 31.3.2008	1.4.2008 से 31.3.2009
1	पंजीकरण	1,46,519	1,67,437
2	अधिसूचित रिक्तियों	6,204	7,287
3	सम्प्रेषण	1,18,211	1,32,494
4	सेवा नियोजन	सरकारी 784 निजी क्षेत्र 3913	सरकारी 3318 निजी क्षेत्र 4063
	सजीव पंजिका	7,80,744	8,13,782

1.4.2008 से 31.3.2009 तक जिलावार रोज़गार कार्यालयों द्वारा किए गए कार्य का विवरण निम्न प्रकार से है:—

क्र.सं.	जिला	पंजीकरण	अधिसूचित रिक्तियाँ	सम्प्रेषण	सेवा नियोजन		सजीव पंजीका (पंजीकृत आवेदकों की संख्या)	नियोजित आवेदक
					सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र		
1	बिलासपुर	12174	203	7437	184	65	52406	67
2	चम्बा	8865	64	8570	160	354	49904	93
3.	हमीरपुर	15382	77	7032	348	360	66211	548
4	कांगड़ा	37990	546	24195	961	499	178096	1444
5	किन्नौर	2516	79	1546	80	23	8960	139
6	कुल्लू	8196	78	3435	149	38	41817	321
7	लाहौल स्पिति	1071	13	377	26	.	5312	-
8	मण्डी	30904	113	23046	337	651	142072	354
9	शिमला	16289	3244	8756	334	275	110686	2629
10	सिरमौर	10728	865	14358	195	280	48831	-
11	सोलन	10189	953	18741	261	501	50392	406
12	ऊना	13133	1052	15001	283	1017	59095	299
	जोड़	167437	7287	132494	3318	4063	813782	6500

नोट:— उप-रोज़गार कार्यालय काज़ा के आँकड़े उक्त सूचना में सम्मिलित नहीं किये गये हैं (दिनांक 31-12-2008 तक सजीव पंजीका पर उप-रोज़गार कार्यालय के आंकड़े 1370 हैं) नियुक्त आवेदकों का ब्यौरा रोज़गार कार्यालयों से दिनांक 1-11-2008 तक का एकत्रित किया गया है।

शिक्षावार विभाजन

स्नातकोत्तर	51,174
स्नातक	1,05,917
दसवीं व उपर स्नातक से कम	5,50,937
दसवीं से कम पढे लिखे	1,01,973
अनपढ	3,781
कुल योग	8,13,782

जाति वार विभाजन

अनुसूचित जाति	1,70,113
अनुसूचित जन जाति	33,075
ओ.बी.सी.	58,684
अन्य	5,51,910
कुल योग	8,13,782

स्त्री / पुरुष विभाजन

पुरुष	5,28,233
स्त्री	2,85,549
जोड़	8,13,782

शहरी ग्रामीण विभाजन

शहरी	1,15,242
ग्रामीण	6,98,540
जोड़	8,13,782

इंजीनियर

डिग्री होल्डर	2,941
डिप्लोमा होल्डर	5,886
सर्टिफिकेट होल्डर(आई0टी0आई0)	29,957

श्रम एवं रोज़गार निदेशालय में स्थापित विशेष
रोज़गार कार्यालय(अपंगों हेतु), द्वारा वर्ष
2008-09 में किये गये कार्यकलापों का विवरण:

सरकार द्वारा विकलांग व्यक्तियों को रोज़गार सहायता प्रदान करने हेतु श्रम एवं रोज़गार निदेशालय में प्रभारी अधिकारी(स्थापना) के अधीन वर्ष,1976 में विशेष रोज़गार कार्यालय (अपंगों हेतु) की स्थापना की गई है।

समाज के इस कमजोर वर्ग को कई प्रकार की सुविधाएँ / रियायतें दी गई है जैसे कि मैडिकल बोर्ड द्वारा निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षा, उपरी आयु-सीमा में 5 वर्ष की छूट, उपरी अंगों की (हाथ तथा बाजु) अपंगता होने पर टंकण करने की छूट है तथा आरक्षण निम्न प्रकार से है:-

कमांक	आरक्षण की श्रेणी	प्रतिशत
1.	तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी में आरक्षण	3 प्रतिशत
2.	महिलाओं के लिये खोले गये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों व सिलाई कटाई केन्द्रों में आरक्षण	5 प्रतिशत

आरक्षित रिक्तियों के लिए साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए अपंग तथा उनके अनुरक्षकों को यात्रा-भत्ता देने का प्रावधान है।

व्यक्ति जिनमें अक्षमताएं हैं, अधिनियम,1995 के तहत नियोक्ताओं के अभिलेख, रोस्टर प्वाइंट को चैक करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है।

विशेष रोज़गार कार्यालय (अपंगों हेतु), द्वारा वर्ष 2008-09 में किये गये कार्यकलापों का विवरण:

क्र०सं०	पंजीकरण	आरक्षित रिक्तियों की अधिसूचना	सम्प्रेषण	सेवा नियोजन	सजीव पंजीका
1		267	807	280	15296

व्यावसायिक मार्गदर्शन संगठन तथा रोजगार परामर्श:

श्रम एवं रोजगार विभाग के अधीन इस समय चार व्यावसायिक मार्गदर्शन केन्द्र स्थापित हैं जिनमें से एक निदेशालय में स्थित राज्य व्यावसायिक मार्गदर्शन केन्द्र है तथा शेष तीन केन्द्र, क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय शिमला, मण्डी व धर्मशाला में स्थित हैं। इसके अतिरिक्त दो विश्वविद्यालय रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्र, पालमपुर व शिमला में स्थित हैं। इन केन्द्रों द्वारा रोजगार के सन्दर्भ में आवेदकों का पंजीकरण व उनको व्यावसायिक मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने अधिसूचना संख्या:श्रम (एम्प) 16/6/93-1, दिनांक:31-1-2006 द्वारा जिला स्तर पर सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्रों की स्थापना उपायुक्त की अध्यक्षता में की है जिसका कार्य आवेदकों को राज्य के सरकारी/निजी क्षेत्र में रोजगार व स्व-रोजगार सहायता प्रदान करना है। प्रदेश के प्रतिष्ठानों व शिक्षण संस्थानों में व्यावसायिक मार्गदर्शन कैम्पों का आयोजन किया जाता है।

1.4.2008 से 31.3.2009 तक इन व्यावसायिक केन्द्रों तथा अधीनस्थ रोजगार कार्यालयों द्वारा व्यावसायिक मार्गदर्शन से सम्बन्धित निम्न कार्य किये गये:—

1	जिन व्यक्तियों ने पंजीकरण के समय व्यावसायिक मार्गदर्शन प्राप्त किया।	1,66,467
2	प्रतिष्ठानों, रोजगार कार्यालयों, विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में जितने मार्गदर्शन कैम्प किये गये।	133
3	जितने व्यक्तियों ने व्यक्तिगत रूप से सूचना प्राप्त की।	14,303
4	चालू रजिस्टर में जितने पुराने केसों का पुर्नवालोका किया।	18,097
5	जितने व्यक्ति व्यावसायिक सूचनाकक्ष में आये।	8,013

केन्द्रीय रोजगार कक्ष की गतिविधियाँ:

हिमाचल प्रदेश के निजी क्षेत्र में लगी एवं लगाई जा रही औद्योगिक इकाईयों, संस्थानों के लिए तकनीकी तथा उच्च कुशल कामगारों को रोजगार उपलब्ध करवाने की दिशा में निदेशालय में स्थित केन्द्रीय रोजगार कक्ष वर्ष 2008-09 (1.4.2008 से 31.3.2009) में भी अपनी सेवाएं अर्पित करता रहा है। इस क्षेत्र के नियोक्ताओं को योग्य एवं प्रशिक्षित कामगार निशुल्क एवं समयानुसार उपलब्ध करवाने में सहायता करता रहा है। केन्द्रीय रोजगार कक्ष के वर्ष 2008-09 के कार्यकलापों का लेखा जोखा निम्न प्रकार से है :-

क्र० संख्या	रिक्तियों की अधिसूचना	आवेदकों का सम्प्रेषण	सेवा नियोजन
1.	756	10035	61

इसके अतिरिक्त दिनांक: 27-9-2008 तथा 29-9-2009 को कॉगड़ा में रोजगार मेले का आयोजन किया गया था जिसका ब्यौरा निम्नलिखित है:-

क्र० संख्या	रिक्तियों की अधिसूचना	उपस्थित आवेदक	सेवा नियोजन
1.	2439	2046	242

फौरन इम्प्लौयमेंट एण्ड मैनपावर एक्सपोर्ट ब्यूरो:

हिमाचल प्रदेश के विशेषकर कुशल, अर्ध-कुशल, एवं तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त इच्छुक प्रार्थियों को विदेश में रोजगार के अवसर जुटाने के दृष्टिगत तथा उन्हे पासपोर्ट, वीजा एवं उत्प्रवासी अधिनियम व विनियम के बारे जानकारी उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से श्रम एवं रोजगार विभाग में वर्ष, 1994 में 'फौरन इम्प्लौयमेंट एण्ड मैनपावर एक्सपोर्ट

ब्यूरो' की स्थापना की गई है। यह ब्यूरो उत्प्रवासी अधिनियम के अन्तर्गत महासंरक्षी उत्प्रवासी, श्रम उंव रोज़गार मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, द्वारा जनशक्ति निर्यात किए जाने के उद्देश्य हेतु पंजीकृत है। इसमें 1731 उम्मीदवारों के नाम पंजीकृत हैं।

रोज़गार बाजार सूचना कार्यक्रम

रोज़गार बाजार सूचना कार्यक्रम के अन्तर्गत रोज़गार कार्यालय सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र की रोज़गार से सम्बन्धित सूचना नियमित रूप से एकत्रित करते हैं। रोज़गार सूचना कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश में जिला स्तर पर रोज़गार के आंकड़े वर्ष 1960 से एकत्रित किए जा रहे हैं। यह कार्यक्रम भारतीय अर्थ व्यवस्था के संगठित क्षेत्र को ही व्यक्त करता है। जो कि अन्य बातों के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र के सभी प्रतिष्ठानों व निजी क्षेत्रों के उन नियोक्ताओं जिनके पास 10 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, और कृषि कार्यक्रम से सम्बन्धित नहीं हैं, उनसे यह सूचना एकत्रित की जाती है। रोजगार के आंकड़े सार्वजनिक क्षेत्र के सभी नियोक्ताओं और निजी क्षेत्र के उन नियोक्ताओं जिनके पास 25 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, और जो कृषि व्यवसाय से सम्बन्धित नहीं हो, से आंकड़े रोज़गार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 तथा उसके अन्तर्गत नियम, 1960

के अन्तर्गत एकत्रित किए जाते हैं। रोज़गार के आँकड़े निजी क्षेत्र के छोटे प्रतिष्ठानों जिनके पास 10 से 24 कर्मचारी कार्यरत हैं, से स्वैच्छिक आधार पर एकत्रित किये जाते हैं। इस विभाग द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है, कि हिमाचल प्रदेश में स्थापित निजी क्षेत्र की ईकाइयों में अधिक से अधिक हिमाचली युवाओं को रोज़गार प्राप्त हो। रोज़गार कार्यालयों द्वारा निजी क्षेत्र की विशेषकर नई ईकाइयों से सम्पर्क स्थापित किया जाता है, व उन्हें रोज़गार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 तथा नियम, 1960 के अन्तर्गत अनिवार्य रूप से रिक्तियों को अधिसूचित करने बारे सूचित किया जाता है। इस अवधि के दौरान हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के लगभग 317 निरीक्षण किए गए हैं।

2. वित्त वर्ष 2008–2009 में विभाग द्वारा रोज़गार कार्यालयों (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 तथा उसके अन्तर्गत नियम, 1960 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या एल0 एण्ड ई0 (ई0एम0आई0) इन्सपैक्शन-05, दिनांक 16-5-2007 द्वारा सभी वरिष्ठ सहायकों को जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित उप-रोज़गार कार्यालयों में कार्यरत हैं एवं अधिसूचना संख्या एल0 एण्ड ई0 (ई0एम0आई0) इन्सपैक्शन-05, दिनांक

16-11-2007 द्वारा संयुक्त-श्रमायुक्त, उप-श्रमायुक्त, सहायक निदेशक कारखाना, सभी श्रम अधिकारियों एवं श्रम निरीक्षकों को शक्तियाँ प्रदान की गई हैं।

3. रोज़गार बाज़ार सूचना कार्यक्रम के अर्न्तगत रोजगार की स्थिति का विश्लेषण विभाग द्वारा समय-समय पर भारत सरकार को भेजी गई विवरणियों में किया गया है, जिनका विवरण निम्न प्रकार से है:-

अवधि त्रैमासान्त	प्रतिष्ठानों की संख्या		अनुमानित रोजगार	
	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र
त्रैमासान्त जून/07	3727	985	258429	94769
त्रैमासान्त जून/08	3838	1037	261972	107388

सार्वजनिक क्षेत्र के पांच अंगों में त्रैमासान्त जून 2008 में प्रतिष्ठानों की संख्या एवं अनुमानित रोजगार :-

अवधि त्रैमासान्त	केन्द्रीय सरकार		राज्य सरकार		अर्ध-सरकारी केन्द्रीय		अर्ध-सरकारी राज्य		स्थानीय निकाय	
	प्रति. संख्या	अनु रोजगार	प्रति. संख्या	अनु रोजगार	प्रति. संख्या	अनु रोजगार	प्रति. संख्या	अनु रोजगार	प्रति. संख्या	अनु. रोजगार
जून/07	142	15503	2311	171760	685	17358	532	49903	57	3905
जून/08	138	15291	2467	180150	641	17223	539	45425	53	3883

निजी क्षेत्र में त्रैमासान्त जून, 2008 में प्रतिष्ठानों की संख्या व अनुमानित रोजगार

अवधि त्रैमासान्त	अधिनियमित संस्थान		लघु संस्थान	
	25 या अधिक कर्मचारी वाले		10 से 24 कर्मचारियों वाले	
	प्रति. संख्या	अनु. रोजगार	प्रति. संख्या	अनु. रोजगार
त्रैमासान्त जून/07	658	89401	322	5368
त्रैमासान्त जून/08	672	101667	365	5721

सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में त्रैमासान्त जून 2008 में औद्योगिक वर्गीकरण में संस्थानों की संख्या एवं अनुमानित रोजगार:—

त्रैमासान्त जून,2007					
		सार्वजनिक क्षेत्र		निजी क्षेत्र	
		प्रति० संख्या	अनु० रोजगार	प्रति० संख्या	अनु० रोजगार
1.	कृषि एवं पशु व्यवसाय	133	16227	8	422
2.	मतस्य शिकार	10	298	.	.
3.	खनिज एवं खाद्य	4	70	.	.
4.	उत्पादन	49	2230	638	74375
5.	विद्युत गैस एवं जल	215	36910	25	15202
6.	निर्माण	157	44026	22	3506
7.	थोक एवं परचून व्यापार	27	966	34	1220
8.	होटल एवं रेस्तरां	16	819	83	2645
9.	यातायात, संचार एवं भण्डार	53	17449	13	560
10.	वित्तीय बीमा	765	10486	3	65
11.	रियल इस्टेट	58	2587	5	316
12.	स्माजिक एवं व्यक्तिगत सेवार्ये	629	40610	1	31
13.	शिक्षा	1478	67631	185	8131
14.	स्वास्थ्य एवं सम्बन्धित कार्य	194	20688	14	740
15.	अन्य समाजिक एवं व्यक्तिगत सेवार्ये	50	975	6	175
	कुल	3535	261972	1037	107388

नोट:— उपरोक्त सूचना में जिला लाहौल-स्पिती के आंकड़े सम्मिलित नहीं किए गए हैं।

श्रम एवं रोज़गार विभाग के अर्न्तगत बनाये जा रहे भवनों का विवरण:
श्रम एवं रोज़गार विभाग, हिमाचल प्रदेश के अधीन 109 कार्यालय कार्यरत हैं।

(क) विभागीय 20 कार्यालय जो सरकारी भवनों में हैं:

श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक अधिकरण शिमला तथा धर्मशाला क्षेत्रीय रोज़गार कार्यालय मण्डी, जिला रोज़गार कार्यालय चम्बा, नाहन तथा किन्नौर, श्रम अधिकारी कार्यालय मण्डी, बद्दी तथा रामपुर बुशैहर, श्रम निरीक्षक कार्यालय रामपुर बुशैहर, मण्डी, परवाणु, नालागढ, बद्दी, नाहन तथा पांवटा साहिब एवं उप रोज़गार कार्यालय रामपुर बुशैहर, नालागढ, भरमौर, व चिड़गांव।

(ख) विभागीय 32 कार्यालय जो विभागीय भवनों में हैं:

श्रम एवं रोज़गार निदेशालय शिमला, सहायक निदेशक कारखाना शिमला, सहायक निदेशक कारखाना ऊना, क्षेत्रीय रोज़गार कार्यालय धर्मशाला, जिला रोज़गार कार्यालय ऊना, बिलासपुर, कुल्लू श्रम अधिकारी कार्यालय धर्मशाला, बिलासपुर, कुल्लू एवं श्रम निरीक्षक कार्यालय, धर्मशाला, बिलासपुर, कुल्लू, अम्ब, सुन्दरनगर तथा उप-रोज़गार कार्यालय पांगी, तीसा, अम्ब, सराहां, गोहर, बैजनाथ, पालमपुर, देहरा, इन्दौरा, जोगिन्द्रनगर, करसोग, सरकाघाट, सुन्दरनगर, पूह, संगड़ाह, सुजानपुर टिहरा एवं राजगढ़।

(ग) विभागीय 7 कार्यालय जो निर्माणाधीन हैं:

प्रदेश के विभिन्न स्थानों में स्थित कार्यालयों के लिए विभाग द्वारा विभागीय भवन बनवाने का कार्य आरम्भ किया गया है। इनमें जिला रोज़गार कार्यालय नाहन, श्रम अधिकारी नाहन व कुल्लू एवं श्रम निरीक्षक कार्यालय नाहन व कुल्लू तथा उप-रोज़गार कार्यालय उदयपुर व चुवाड़ी के कार्यालय निर्माणाधीन हैं।

शेष कार्यालय निजी भवनों में स्थित हैं।

कार्यकुशलता बढाने के लिए कम्प्युटराईजेशन:—

विभाग के कार्य निष्पादन में कार्यकुशलता व पारदर्शिता लाने हेतू समस्त रोज़गार कार्यालयों को कम्प्युट्रीकृत किया गया है। श्रम व कारखाना खण्डों के कार्यालयों को भी कम्प्युट्रीकृत किया गया है।

केन्द्रीय रोज़गार कक्ष में पंजीकृत आवेदकों के रिकॉर्ड को भी कम्प्युटर पर चढ़ा दिया गया है। विभाग, एन0आई0सी0, शिमला से इस कक्ष हेतू 'जौब पोर्टल' भी विकसित करवा चुका है। अब निजी क्षेत्र के नियोक्ता, कुशल कामगारों को अपनी इच्छानुसार व बिना विलम्ब कक्ष से प्राप्त कर सकते हैं।

**4.9. Budget & Actual Expenditure Statement Figures
Demand No:27-Labour,Employment & Training.**

S.No.	Head of Account	Sactioned Budget 2008-09		Actual Expenditure during 2008-2009	
		PLAN	NON-PLAN	PLAN	NON-PLAN
1.	01-Labour,001-Direction & Administration, 01-Staff at the Hqrs.	-	55,60,000	-	51,49,060
2.	01-Labour,101-Industrial Relations, 01-Enforcement of Labour Laws.	-	1,10,83,000	-	1,31,55,569
3.	01-Labour,101-Industrial Relations, 03-Wage Board/	-	33,000	-	32,850
4.	01-Labour,102-Working Conditions & Safety, 01-Inspectorate of Factories.	-	3,76,000	-	2,34,666
5.	01-Labour,103-General Labour Welfare, 01-Education	-	1,27,000	-	1,71,926
6.	02-Employment,001-Direction & Administration, 01-Staff at the Directorate of Employment.	-	28,75,000	-	31,78,623
7.	02-Employment,004-Research ,Survey & Statistics, 01-Collection of EMI	-	42,46,000	-	33,58,208
8.	02-Employment,101-Employment Services, 01-Extension Coverage of Employment Services.	-	3,91,66,000	-	3,50,01,216
9.	02-Employment,101-Employment Services, 02-Vocational Guidance & Employment Counselling.	-	10,07,000	-	8,84,917
10.	02-Employment,101-Employment Services, 03-University Employment Information & Guidance Bureau.	-	2,67,000	-	1,39,212
11.	02-Employment,101-Employment Services, 05-Special Employment Exchanges(Scheduled Castes)	-	4,00,000	-	2,47,906
	Total:	-	6,51,40,000	-	6,16,44,153

Centrally Sponsored Schemes (100%)

1.	02-Employment,101-Employment Services, 06-Special Employment Exchanges(Physically Handicapped)	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-

Major Works

1.	4250-Capital Outlay on Other Social Services, 00,201-Labour,01-Buildings	10,,00,000	-	10,00,000	-
	TOTAL	10,,00,000	-	10,00,000	-

**BUDGET & ACTUAL EXPENDITURE STATEMENT RECONSILED FIGURE DEMAND NO-31-TRIBAL
DEVELOPMENT**

1.	01-Labour, 796-Tribal Area-Sub-Plan,01-Expenditure on inforcement of Labour Laws	80,000	7,75,000	73,000	11,90,778
2.	02-Employment,796-Tribal Area Sub Plan, 01-Expenditure on Employmen Services	6,00,000	26,81,000	5,73,513	26,43,569
	TOTAL	6,80,000	34,56,000	6,46,513	38,34,347

Receipt under Major Head -0230-Labour & Employment,H.P.

Sr.No.	Head of Account	Receipt.
1.	0230-00-101-01 Under Labour Laws.	7281
2.	0230-00-102-01-Registration of Trade Unions.	3551
3.	0230-00-104-01-Fees Under Factories Act,1948.	23600130
4.	0230-00-106-01-Fees Under Contract Labour Act.	100757
5.	0230-00-800-01-Fees Under Motor Transport Act.	75862
6.	0230-00-800-02-Fees Under Shops & Commercial Establishments Act.	4303663
7.	0230-00-800-05-Recovery of Overpayment.	83778
8.	0230-00-800-07-Other Miscellaneous Recovery.	15034
	Total:	28190056

Right to Information

Government of Himachal Pradesh
Department of Labour & Employment
No.Shram(A)4-2/2005 Dated: Shimla:171001 the 10th April,2007.

Notification

In exercise of the power conferred by clause (b) of Sub section (1) of section 4 of the Right of Information Act,2005, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to publish the records and other activities of the Labour & Employment Department, as under :-

1.	The particulars of its organisation, functions and duties	The Department of Labour & Employment came into existence in 1972 after segregation from Industries Department. It is mainly responsible for implementation of various Labour Laws (27 Central & 2 State Acts) and for providing employment assistance to job-seekers. The Department has been playing the role of a facilitator and regulator. It comprises of 3 wings- Labour, Factories & Employment. The Labour wing is primarily looking after the welfare, health & safety of the workers in the industrial and commercial establishments. It is also responsible for maintaining industrial peace and harmony between the managements and the workers. The Factory Wing is responsible for approval of Building Plans of factories, issue and renewal of factory licence and inspection of factories to ensure compliance of provisions regarding health, safety and welfare of factory workers. The Employment wing helps the interested job seekers and other persons interested in self employment by way of registration, sponsoring and by providing vocational guidance and career counselling.
----	---	--

2.	The powers and duties of its officers and employees.	<p>Cases which are disposed off at the level of <u>Secretary (Lab and Emp.) Govt. of HP</u></p> <ul style="list-style-type: none"> i) Establishment matter relating to Lab. & Emp. Deptt/ ii) Lok Sabha/ Rajya Sabha Questions. iii) Court Cases. iv) Budget, Financial matter/ Expenditure sanctions. v) Publication of Awards. <p><u>Deputy Secretary</u></p> <ul style="list-style-type: none"> i) All correspondence relating to personnel matters/ financial sanctions etc. are routed through him to the Secretary. ii) Public representations received in this office are forwarded to the concerned departments for report and appropriate action <p><u>Section Officer</u></p> <ul style="list-style-type: none"> i) To supervise all the work relating to personnel/ Budget and public representative etc. ii) To ensure all the Dealing Asstt. and Diarist are maintaining all required registers and keep the same updated. iii) To keep carefully watch on the movements of dak files between section and higher authorities. iv) To ensure timely submission of time bound cases/ Court cases. v) To ensure that all manuals, Rules, inspections, guard files etc. of the section are kept up to date. vi) <p><u>Superintendent</u></p> <ul style="list-style-type: none"> i) To supervise all the work of dealing Asstts. under their control. ii) To ensure timely submission of all papers according to their priority.
----	--	--

		<p><u>Sr./Jr. Asstt.</u></p> <p>i) Opening/ maintaining of files and noting and drafting up to date of various types of data and maintenance of various registers.</p> <p>ii) Establishment matters including R & P Rules, maintenance of Service Books, Service records, leave account, pension cases, disciplinary matters, pay fixation, finalisation of seniority, court cases and other misc. matters.</p> <p><u>Clerk</u></p> <p>i) Diary and despatch/ movement of files weekly & monthly statements etc.</p> <p>ii) Maintenance of leave account and other misc. work entrusted by the S.O.</p>
3.	The procedure followed in the decision making process including channels of supervision and accountability.	All the cases in the Branch are submitted on file by the concerned Dealing Asstts. Supervised by the Supdt. and submitted to the S.O. He submits it further to the Under Secretary the to the Secretary. Routine matters and informatory references are disposed off at S.O./ Under Secretary level. Financial matters/ expenditure sanctions, decision taking power vests with the Secretary.
4.	The norms set by it for the discharge of its functions.	As stated at Point No. 2 & 3.
5.	The Rules, Regulations, instructions, manuals and records held by it or under its control.	<p>The various rules & Regulations/ instructions followed are as under:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. HPFRs 2. CCS & CCA Rules 3. Conduct Rules, 4. Medical Attendance Rules, 5. Delegation of financial powers. 6. LTC Rules/ GPF Rules/ Pension Rules etc. 7. R & P Rules. 8. Office Manuals.

6.	Statement of the categories of the documents that are held by it or under its controls.	N/A.
7.	The particulars of any arrangement that exists for consultation with representation by the members of the public in relation to the formulation of its policy or administration thereof.	N.A.
8.	A statement of the Board, Councils Committee & Other bodies consisting of two or more persons constituted as its part of or for the purpose of its advice and as to whether meetings of those Boards/ Councils/ Committee and other Bodies are open to the public or the minutes of such meetings are	N.A.

	accessible for public.	
9.	A directory of its officers and employees.	<p>1. Secretary (Lab & Emp.)- Ph.No.2621876, 2880735</p> <p>2. Deputy Secretary.- Ph.No.2628499, 2880527</p> <p>3.Senior Private Secretary/P.A.-Ph.No.2621876, 2880735</p> <p>4. Section Officer-Ph.No.2880444</p> <p>5. Superintendent- Ph.No.2880544</p> <p>7. Sr. Asstts.-Ph.No. -do-</p> <p>8. Jr. Asstt.-Ph.No.-do-</p> <p>9. Clerks-Ph.No. -do-</p> <p>10. Peon. -Ph.No. -do-</p>
10.	The monthly remuneration received by each of its officer and employees including the system of compensation as provided in its Regulation.	N.A.
11.	The Budget Allocated to each of its agency indicating the particulars of all plans, proposed expenditure and reports on disbursement made.	N.A.
12.	The manner of execution of subsidy programmes, including the amount allocated and the details of beneficiaries of such programmes.	N.A.

13.	Particulars of recipients of concessions permits or authorizations granted by it.	N.A.
14.	Details in respect of the information available to or held by it, reduced in an electronic form.	N.A.
15.	The particulars of facilities available to citizens for obtaining information, including the working of a library or reading room, if maintained for public use.	N.A.
16.	The names, designations and other particulars of the Public Information Officers.	This department vide Notification dt. 31.10.05 has already designated the officers of the Lab and Employment Deptt. As Appellate Authority/ Public Information Officer. The said information is also available on the official website of the State Government.
17.	Such other information as may be prescribed.	The list of all the Acts and Rules which are pertaining to the L & E Deptt. is available on the Website of the Deptt.

BY ORDER

**Secretary (Lab.&Emp.) to the
Government of HP**

Endst. No. Shram(A)4-2/2005 dated Shimla-2 the 10th April,2007

Copy to: -

1. The Principal Secretary (AR) to the Govt. of HP Shimla-2.
2. All the Admn. Secretaries, H.P. Shimla-2.
3. All the HOD's in HP.
4. All Div. Commissioners,/ DCs in HP
5. The Controller, P & S H.P. Shimla-5, for publication in the Rajpatra (Extra ordinary)
6. Guard File.

**Deputy Secretary (Lab.&Emp.)
to the Government of HP**

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 :-

Name of Department: **Labour & Employment, Himachal Pradesh**

**Govt. of Himachal Pradesh.
Directorate of Labour & Employment.**

No: Shram(Prastha)11/05

Dated:21.2.2007

OFFICE ORDER.

The particulars of the organization, functions and duties etc. required to be published as per provisions of Sub-Section (1)(b) of Sec.4 of the Right to Information Act,2005 are as under:-

(I) Particulars of Labour & Employment Department, its Functions & Duties.

The Department is regulatory in nature and primarily concerned with ensuring the implementation of Labour Acts(26 Central & 2 of the State) and of the Employment Exchange (Compulsory Notification of Vacancies) Act,1959. The Labour Wing of the department is primarily responsible for implementation /enforcement of Labour Laws and maintaining Industrial Peace. The Factory Wing is looking after the Registration of Factories, welfare & safety of workers working in such Factories. The Employment Wing gives Employment Assistance, primarily to the youth.

The names of the Labour Acts are as under:-

1. Bonded Labour System(Abolition) Act, 1976
2. Contract Labour(Regulation and Abolition)Act, 1970
3. Child Labour(Regulation and Prohibition)Act, 1986
4. The Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996.
5. Cine Workers and Cinema Theatre Workers (Regulation of Employment) Act,1981

6. The Building and other construction workers Cess Act, 1996
7. Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952.
8. Employees State Insurance Act, 1948.
9. Equal Remuneration Act, 1976.
10. Factories Act, 1948.
11. Industrial Dispute Act, 1947.
12. Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946.
13. Interstate Migrant Workman (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1979.
14. The Labour Laws (Exemption from furnishing Returns and Maintaining Registers by certain Establishments) Act, 1988.
15. Maternity benefit Act, 1961.
16. Minimum Wages Act 1948
17. Motor Transport Workers Act, 1961.
18. Payment of Bonus Act 1965,
19. Payment of Gratuity Act, 1972.
20. Payment of Wages Act 1936,
21. Plantation Labour Act, 1951.
22. Sales Promotion Employees (Conditions of Service) Act, 1976.
23. Trade Unions Act, 1926.
24. Working Journalists and other Newspapers Employees (Condition of Service and Miscellaneous provisions) Act, 1955
25. Workman Compensation Act, 1923.
26. Boilers Act, 1923

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

1. Himachal Pradesh Shops & Commercial Establishments Act, 1969
2. H.P. Industrial Establishments (National & Festivals Holidays, Casual & Sick leave) Act, 1969

3. (II) **Powers and duties of Officers and Employees:**

Labour Commissioner- cum Director of Employment is also the Chief Inspector of Factories, Registrar of Trade Unions, Chief Inspector of Shops and Conciliation Officer under Industrial Disputes Act, 1947.

The Directorate monitors the working of the field offices .Registration of Factories is done under the Factories Act, 1948 and disputes are referred

to the two Labour Courts -cum-Industrial Tribunals in H.P. at Shimla and Dharamshala under the Industrial Disputes Act,1947, Registration of Trade Unions is done under the Trade Union Act,1926 Registration of Motor Transport is done under Motor Transport Act Prosecution sanctions are given to the field functionaries to launch prosecution against the defaulters under various Labour Laws.

Employment Assistance is provided to Physically Handicapped and sponsoring of skilled registrants to private sector, inspection of sub-ordinate offices and Establishments in Private and Public Sector.

POWER & DUTIES:

Labour Commissioner:

Labour Commissioner is functioning as Chief Inspector of Factories, Shops and Commercial Establishments Act, 1969 .The Labour Commissioner is also functioning as Conciliation Officer under the Industrial Disputes Act, 1947 and Registrar Trade Unions under the Trade Unions under the Trade Unions Act, 1926. The Labour Commissioner also functions as Inspector under the various Labour laws. The Certifying Officer under Industrial Employees (Standing Order) Act.

Joint Labour Commissioner:

The Joint Labour Commissioner is functioning as Additional Chief Inspector of Factories under the Factories Act,1948.The Certifying Officer under Industrial Employees(Standing Orders)Act, Appellate Authority under the Payment of Gratuity Act and also functioning as Inspector under various Labour laws and also functioning as conciliation officer under the Industrial Disputes Act,1947 for whole H.P.

Deputy Labour Commissioner:

The Deputy Labour Commissioner is functioning as Deputy Chief Inspector of Factories under the Factories Act, 1948, Appellate Authority under the Contract Labour Act(R&A)Act,1970, Registering Officer under the Motor Transport Worker Act,1961 and also functioning as Inspector under the various Labour laws and also functioning as conciliation officer under the Industrial Disputes Act,1947 for whole H.P.

Labour Officers & Labour Inspectors:

Labour Officers and Labour Inspectors are also Conciliation Officers for Industrial Disputes .Labour Officers act as controlling authority to decide claims of gratuity under Payment of Wages Act,1970.Registration Officers and licensing officer under Contract -Labour Act(R&A)Act,1970 and Inter State Migrant Workmen(RECS)Act .Where there are more than 200 workers and Labour Officer is not posted in the District, there District Employment Officers discharge the duty of Conciliation Officer to try and resolve Industrial Dispute arising between management and workers. They also carry out Inspection of Public and Private Sector Units. Labour Officers and Labour Inspectors ensure implementation of Labour Acts including the shops registration, implementation of Minimum Wages and forwarding of cases regarding violation of provision of payment of wages ,Gratuity, Bonus to Directorate for obtaining prosecution sanctions.

Assistant Director of Factories:

Assistant Director of Factories looks after Registration of Factories and Safety & welfare of workers working therein.

EMPLOYMENT SECTION

At the Directorate Labour Commissioner-cum-Director of Employment is assisted by Deputy Director Employment and by Employment Market Information Officer, State Vocational Guidance Officer, Officer in Charge (Placement), (Special Employment Exchange for Physically Handicapped) and Employment Officer (Central Employment Cell).

Regional Employment Officers and District Employment Officers give Vocational Guidance, Career Counseling and Employment Assistance for jobs in Private Sector and Govt. Sector as well as for self employment, to such persons who are residing in their territorial jurisdiction. They also inspect subordinate Employment Exchanges. Private and Public sector establishments in their districts are also inspected by them and Employment Officers, Superintendent Grade-II and Statistical Assistants. In charges of Sub Office Employment Exchanges are also carrying out these functions except that of inspection. The two UEIGBs at HPU Shimla and Chaudhery Sarwan Kumar Himachal Pradesh Agriculture University Palampur are giving vocational guidance mainly to the respective University students.

(III) **Procedure followed in decision making process including channels of supervision and accountability:**

All offices are working independently but under administrative control of next higher office. They can also be inspected by superior departmental officers. The office of Assistant Director of Factories Una, all University Employment Information Guidance Bureaus, Regional Employment Exchanges, District Employment Exchanges and office of Labour Officers are audited by A.G. Office from time to time.

(IV) The norms set by discharge of its function:

Registration and renewal of registration in Employment Exchange is done on the same day and sponsoring of registrants is also done within scheduled time (Generally four weeks).

(V) The rules, regulations, instructions, manuals and records held by it or under its control:

Being a regulatory department it ensures the implementation of the Acts (and Rules) as mentioned at Sr. No. I hereinabove as also all Rules and instructions of Himachal Pradesh Govt. applicable on the Departments.

(VI) Statement of the categories of the documents:

A statement of the categories of the documents that are held by it or under its control. Files related to ensuring the implementation the Acts & Rules mentioned against Sr.No.(V)hereinabove. Also files related to Budget, Plan, and Annual Administrative Report etc.

(VII) The particulars of any arrangement that exists for consultation with, or representation by, the members of the public in relation to the formulation of its policy or administration thereof;

- a) State Committee on Employment notified on 30.1.2006 comprising of Hon'ble Employment Minister as Chairman, 16 Members and Director of Employment as Member Secretary includes representatives of Employers workers as well as public representatives.
- b) District Committee on Employment notified on 30.1.2006 comprising of respective DCs as Chairman,10 members and respective REOs/DEOs as Member Secretary including representatives of employers, workers and public representatives.

- c) Minimum Wages Advisory Board constituted on 1.9.2003 comprising of Chairman, 37 members and member Secretary and constituted a committee on 30.1.2004 comprising of Chairman, 11 members and member Secretary.
- d) Expert Committee under Building and Construction Act constituted on 24 Sep,2003 comprising of Chairman,9 members and member secretary
- e) Regional Board for H.P. Region under ESI Act,1948 which consist of a Chairman,Vice-Chairman,3 members, Ex-Officio member,2 Employees Representative,6 Employers Additional Representative and member Secretary.
- f) Regional Committee for State of H.P. under Employee Provident Fund Scheme, 1952 which consists of Chairman. 2 official members, 5 members of employers representative, 5 members of Employees representatives
- g) Three local committees under Regional Board constituted under ESI(Gen)Regulation,1950 consisting following members: Chairman, Member ,Labour Inspector, Medical Officer, Incharge 4 members of Factory & Branch Manager, ESI Corporation.
- h) State level Tripartite Committee which consist of Chaiman, Vice-Chairman, 14 members and Member Secretary.
- i) State Advisory Contract Labour Board consisting Chairman,7 members, Member Secretary.
- j) State Labour Welfare Board consisting Chairman (Chief Minister)112 Members and Member Secretary.
- k) **(VIII)** A statement of the board, councils committees and other bodies consisting of two or more persons constituted as its part of or for the purpose of its advice, and as to whether meetings of those boards,

councils, committees and other bodies are open to the public or the minutes of such meetings are accessible for public.

As mentioned against item no (vii) hereinabove meetings are not open to public as such However, due care has been taken to involve all the stake holders.

(IX) **Directory of Officers and Employees:**

	Name	Designation	Office Telephone Nos.
1.	Sh.B.R Verma, IAS	Labour Commissioner-cum-Director of Employment, H.P.	0177-2625085
2.	Sh.S.C.Awasthi	Joint Labour Commissioner, Directorate	0177-2624157
3.	Sh.R.K.Sandhu	Deputy Labour Commissioner, Directorate.	0177-2624305
4.	Sh. Manoj Tomar	Deputy Director Employment, Directorate	0177-2624305
5.	Sh. A.K.Sood	Asstt. Director of Factories, Directorate	0177-2624157
6.	Smt. Sangeeta Gupta	Officer Incharge(Placement)	0177-2625277
7.	Sh. R.K.Gupta	Supdt. Grade-I, Directorate	0177-2625277
8.	Smt.Nirmla Sharma	District Employment Officer, Solan	01792-223746
9.	Mr.K.K.Sharma	District Employment Officer, Mandi	01905-235508
10.	Sh.Joginder Singh Patial	District Employment Officer, Kangra	01892-224892
11.	Mr.G.D.Kalta	District Employment Officer, Shimla	0177-2658174
12.	Miss Vandana Vaidya	District Employment Officer, Sirmour	01702-222274
13.	Sh. Hari Ram	Officiating District Employment Officer, Bilaspur	01978-222450
14.	Sh.Prem Singh	District Employment Officer, Kullu	01902-222522
15.	Sh.R.C.Katoch	District Employment Officer, Una	01975-226063
16.	Sh.Y.R.Dhiman	District Employment Officer, Hamirpur	01972-222318
17.	Sh. Mohinder Pal	Officiating District Employment Officer, Chamba	01899-222209
18.	-	CDPO L&S(Holding the Charge of District Employment Exchange, Keylong	01900-222252
19.	Sh. Munish Karol,L.O.	GM,DIC Holding the Charge of District Employment Exchange Rekonng-Peo	01786-222291
20.	Sh.R.S.Siphayia	Labour Officer, Solan	01792-223745
21.	Sh.J.S.Negi	Labour Officer, Rampur	01782-234286
22.	Sh.T.R.Azad	Labour Office, Kullu	01902-223698
23.	Sh.S.K.Kaushal	Labour Office, Mandi	01905-235542
24.	Sh.R.P.Rana	Labour Officer,Baddi	01795-271210
25.	Sh. P.D.Sharma	Labour Officer,Nahan	01702-226144

26.	Sh. Pertap Verma	Labour Officer,Una	01975-224243
27.	Sh. Rajesh Pangania	Labour Officer,Chamba	01899-223233
28.	Sh. Darshan Singh Thakur	Labour Officer D/Shala	01892--225329
29.	Sh.Jitender Bindra	Labour Officer, Shimla	01792-223745
30.	Sh. Anurag Sharma	Labour Officer,Bilaspur	01978-221516
31.	Sh. Munish Karol	Labour Officer,Kinnaur	01786-220007

(X) The monthly remuneration received by each of its officers and employees including the system of compensation as provided in its regulations.

Post	Pay Scale
Labour Commissioner-cum-Director of Employment, IAS.	15100-18300
Assistant Director of Factories	12000-16350
Joint Labour Commissioner	10025-15100
Deputy Labour Commissioner	7880-11660
Deputy Director of Employment	7880-11660
District Employment Officers	7880-11660
Regional Employment Officers	7220-11660
Superintendent Grade-I	7220-11660
Labour Officers	7000-10980
Employment Officers	7000-10980
Legal Assistant	6400-10640
Superintendent Grade-II	6400-10640
Personal Assistant	6400-10640
Senior Scale Stenographer	5800-9200
Statistical Assistant	5800-9200
Senior Assistant	5800-9200
Labour Inspectors	5480-8925
Computer Operator	5000-8100
Junior Assistant	4400-7000
Junior Scale Steno	4400-7000
Driver	3330-6200 plus 300 spl.pay.
Steno-typist	3330-6200
Clerk	3120-5160 with initial start of

	3220/-
Daftri	2720-4260
Class-IV	2520-4140 (Initial 2620/-)
Frash	2520-4140 (Initial 2620/-)

(XI) The budget allocated to each of its agency, indicating the particulars of all plans proposed expenditures and reports on disbursements made; Standard Object of Expenditure wise budget is allocated to each Drawing and Disbursing Officer and expenditure is regularly monitored.

(XII) The manner of execution of subsidy programmes, including the amount allocated and the details beneficiaries of such programmes; Not Applicable.

(XIII) Particulars of recipients of concessions, permits or authorization granted by it; Not Applicable.

(XIV) Details in respect of the information available to or held by it, reduced in an electronic form; Registration record of Regional Employment Exchange Shimla, Registration record of Central Employment Cell at Directorate , Salary disbursement at Directorate.

(XV) The particulars of facilities available to citizens for obtaining information, including the working of a library or reading room, if maintained, for public use. The offices of the department are open to citizens for obtaining information on all working days , especially on all working Mondays when officers are available for meeting the citizens.

(XVI) The names ,designations and other particulars of the Public Information Officers;

(XVII) Such other information may be prescribed and thereafter up date those publications every year:

Annual Administrative Report is printed every Financial Year and is also available on the Departments website, alongwith other information , at Himachal.gov.in/Employment.

